UPMT010004962026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित : विकास कुमार–प्रथम, उच्चतर न्यायिक सेवा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–245/2026
दीपक प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 13/2026, धारा 310(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना कोतवाली, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/ अभियुक्त **दीपक** की ओर से स्वयं को जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण से मिलकर वादी मुकदमा से 3282 ग्राम कच्ची चांदी व 75000/– रूपये लूटकर ले जाने एवं उक्त लूटी गयी चांदी व रूपये आवेदक/अभियुक्त व सहअभियुक्तगण से बरामद होना, आक्षेपित है।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी पक्ष के निजी विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र द्वारा अमित कुमार में मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है, उसको इस केस में झूठा फँसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इससे पूर्व अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो लगाया गया है, न खारिज हुआ है और न ही लंबित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 309(4) बी०एन०एस० में दर्ज की गयी है। जिस सफेद धातु की बरामदगी दिखायी गयी है, वह धातु क्या है यह स्पष्ट नहीं किया जा सका है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र निष्पक्ष जनसाक्षी नहीं है। स्वयं पीड़ित के कथनानुसार डकैती जैसी कोई घटना बनती ही नहीं है, क्योंकि घटना में चार व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त इस मुकदमे में नामजद अभियुक्त नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है और दिनांक 16.01.2026 से जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध है। अतः उसे दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाये।

5– प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष/वादी पक्ष की ओर से मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि वादी मुकदमा दिनांक 06.01.2026 को प्रातः 2.30 बजे पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन से मथुरा आया तथा गेट नं० 3 से बाहर निकलकर रेलवे स्टेशन के पास आटो स्टैन्ड पर आटो लेने के लिए खड़ा था, कि एक नीले रंग की बोलेनो कार UP14EV2292 खड़ी थी, जिसके पास दो पुलिसवाले खड़े थे, जिन्होंनें वादी का 3282 ग्राम चांदी व 75000/– रूपये से भरा बैग छीन लिया तथा गाड़ी में जबरदस्ती बिठा लिया, जिसमें पीछे वादी का दोस्त रोहित व गोपालकृष्ण बैठे हुए थे। रोहित से वादी की फोन पर बात हुयी थी। रोहित व गोपाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर वादी का रूपया व चांदी लूटकर बोलेना कार से भाग गये। पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्त दीपक से उक्त लूटे गयी चांदी व रूपयों में से 456 ग्राम चांदी व 5000 रूपये नकद बरामद किये गये हैं। इसके अतिरिक्त सहअभियुक्त नरेन्द्र से 18000/– रूपये व 1.021 ग्राम चांदी, घटना में प्रयुक्त बोलेना कार, सहअभियुक्त गोपालकृष्ण से 693 ग्राम चांदी व 20000 रूपये तथा रोहित से 638 ग्राम चांदी व 20000 रूपये बरामद हुए हैं। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है। यदि उसे जमानत प्रदान की गयी तो रिहा होने के पश्चात वह पुनः इसी प्रकार के अपराध में संलिप्त होगा। आवेदक/अभियुक्त जमानत का पात्र नहीं है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.03.23 17:26:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

6– आवेदक/अभियुक्त द्वारा सहअभियुक्तगण से मिलकर वादी मुकदमा से 3282 ग्राम कच्ची चांदी व 75000/– रूपये लूटकर ले जाने एवं उक्त लूटी गयी चांदी व रूपये आवेदक/अभियुक्त व सहअभियुक्तगण से बरामद होना, आक्षेपित है।

आवेदक/अभियुक्त से उपरोक्त लूट से सम्बन्धित 456 ग्राम चांदी व 5000 रूपये नकद बरामद किया जाना बताया गया है।

अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

आवेदक/अभियुक्त **दीपक** की ओर से कथित रूप से स्वयं को झूठा फँसाए जाने का कोई यथोचित कारण दर्शित नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को जमानत प्रदान किए जाने का कोई समुचित आधार प्रतीत नहीं होता है।

निष्कर्षतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है, **निरस्त** किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि वह जमानत आदेश की सॉफ्ट कॉपी अधीक्षक, जिला कारागार मथुरा को ई–मेल **districtjailmathura@gmail.com** पर आवेदक/अभियुक्त के अभिलेख हेतु प्रेषित करना सुनिश्चत करें।

दिनांक–23.03.2026

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा
I.D.No.–UP1910

सन्देश वर्मा